



2026:AHC:162422

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 27023 / 2026

फरहान

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	पीयूष कुमार पाठक, प्रतियुष कुमार पाठक
विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

- विद्वान ए.जी.ए. श्री वी.पी. त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 19.12.2025 की सीडी-54 की प्रति अभिलेख पर ले ली गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-विरोधी पक्ष के विद्वान ए.जी.ए. श्री वी.पी. त्रिपाठी को सुना।
- वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 360/2023 अंतर्गत धारा 304, 323, 504, 506 आई.पी.सी., पुलिस स्टेशन - कोतवाली नगर, जिला - अलीगढ़ में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं था और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना कथित तौर पर 14.11.2023 को घटी थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 22.11.2023 को दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में अत्यधिक बिलंब अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। प्रारंभ

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में, प्रथम सूचनादाता के भाई की जांच 15.11.2023 को मलखान सिंह जिला अस्पताल, अलीगढ़ में की गई थी। डॉक्टर ने छः चोटें दर्ज कीं। उपस्थित डॉक्टर के बयान के अनुसार, जांच के समय सूचनादाता का भाई नशे में था। चोट संख्या 4 को छोड़कर सभी चोटें साधारण प्रकृति की पाई गईं, जिसे निगरानी में रखा गया था। सूचनादाता के भाई की मृत्यु 26.11.2023 को हुई। सूचनादाता के बेटे ने, जिसने स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बताया, 19.12.2025 को दर्ज अपने बयान में बाद में आवेदक और दो अन्य लोगों के नाम उजागर किए। यह तर्क दिया गया है कि उक्त बयान बाद में गढ़ा गया है और अविश्वसनीय है। जमानत आवेदन के संलग्नक-8 पर पर्चा संख्या 16, दिनांक 30.03.2024 पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया है कि मृतक शराब के नशे में गलती से नाले में गिर गया और उसे चोटें आईं। इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई सम्पोषक साक्ष्य नहीं है। आवेदक 28.12.2025 से जेल/कारागार में है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन अभिलेख से उपरोक्त प्रस्तुतियों का संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंबित रूप से दर्ज की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं था। आवेदक और दो अन्य व्यक्तियों के नाम बाद में सूचनादाता के पुत्र द्वारा, जिसने स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बताया, 19.12.2025 को दर्ज किए गए अपने बयान में उजागर किए गए। पर्चा संख्या 16 दिनांक 30.03.2024 के अनुसार, मृतक शराब के नशे में गलती से नाले में गिर गया और उसे चोटें आईं। इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई सम्पोषक साक्ष्य नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक सात माह से अधिक समय से हिरासत में है और आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद विचारण के शीघ्र निस्तारण की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर तब जब राज्य द्वारा ऐसा कोई उचित संदेह सामने नहीं लाया गया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा, विचारण में बिलंब करेगा या

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साक्षी को डराएगा, इसलिए, मामले की गुण-दोषों पर टिप्पणी किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक - फरहान को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

(i) विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा;

(ii) अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और,

(iii) अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

अगस्त 4, 2026

एसकेटी/-

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।